न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 766/2020 तारीख रजू:– 07.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रामभरोसी शर्मा पुत्र स्व. हीरालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खैडी हैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ————————————सायल

बनाम

1. सुरेशचंन्द शर्मा पुत्र स्व. माँगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खैडी हैवत तहसील हिण्डौन हालवासी रेल्वे स्टेशन बजरिया, बाजना फाटक के पास, हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान।

2.	मनोज शर्मा	समस्त पिसरान सुरेशचंन्द शर्मा
3.	लोकेश शर्मा	जाति ब्राहमण निवास खैडीहैवत
4.	रामरज शर्मा	हालवासी रेल्वे स्टेशन बजरिया
5.	पिन्टू शर्मा	बाजना फाटक के पास, हिण्डौनसिटी
6.	नीरज शर्मा	जिला करौली राजस्थान ———गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री संजय शर्मा एडवोकेट सायलान
2. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सम्मानीय अदालत में सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध दावा तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि खसरा नं. 816 रकवा 0.09 हैक्टेयर, 817 रकवा 0.11 हैक्टेयर 818 रकवा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.45 हैक्टेयर वाके ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज. में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिक्रा मद नं.–2 प्रार्थना पत्र का सायल बहिस्सा 1/4 भाग का रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है। शेष भूमि के रिकार्डेड खातेदार 1/4 हिस्से के दावे के प्रतिवादी नं. 14 ता 16 तथा 2/9 हिस्से के दावे के प्रतिवादी नं. 17 ता 20 तथा 15/54 हिस्से के गैरसायल नं. 1 व दावे के प्रतिवादी नं. 7 ता 13 है।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार हरभेजी पत्नी माँगीलाल फौत हो चुकी है। उसके वारिसान गैरसायल नं.–1 व दावे के प्रतिवादी नं. 7 ता 13 हैं। जो पहले से ही रिकार्ड पर है। इसीप्रकार रिकार्डेड खातेदार बाबूलाल पुत्र मांगीलाल फौत हो चुका है उसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं. 9 ता 11 है। इसीप्रकार रिकार्डेड खातेदार रामरतन पुत्र मांगीलाल फौत हो चुका है उसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं. 12–13 हैं। इसी प्रकार रिकार्डेड खातेदार दुर्गीलाल पुत्र मंगल फौत हो चुका है उसके वारिसान दावे के प्रतिवादी नं. 17–18 है।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिक्रा मद नं.–2 प्रार्थना पत्र का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन सायल तथा गैरसायल नं.–1 व अन्य खातेदार दावे के प्रतिवादी नं. 7 लगायत 20 ने बुजुर्गान के समय से अपने–अपने हिस्सा को काश्त की सुविधा के लिये बॉट रखा है। वाहमी बंटवारे में सायल के हिस्सा 1/4 में खसरा नं. 817 आया है। जिसे सायल अपने बुजुर्गान के समय से शांन्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। सायल ने अपने हिस्सा की भूमि खसरा नं. 817 को चारों तरफ से डौल मेड से महदूद कर रखा है। तथा काफी लागत लगाकर उसे उपजाउ बनाया है। शेष भूमि खसरा नं. 816 व 818 को गैरसायल नं. व दावे के प्रतिवादी नं. 7 लगायत 20 शांन्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा आज भी सायल अपने हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की भूमि खसरा नं. 817 रकवा 11 ऐयर पर काबिज एंव दखील है तथा बाजरा बो रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद 06 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिक्रा मद नं.–2 प्रार्थना पत्र अर्थात सायल के हिस्सा की भूमि खसरा नं. 817 के किसी भी भाग से गैरसायलान का कोई संम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान नं. 1 लगायत 6 आदमीवाले, लठैत, प्रभावशाली व्यक्ति है। सायल सीधा–साधा अकेला गरीब व्यक्ति है। इसलिये दिनांक 22.08.2020 को सुबह 11 बजे सायल अपने हिस्से की आराजी खसरा नं. 817 को काश्त कर रहा था कि गैरसायलान मय हमराहीयान एकराय होकर आये और आते ही कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से में 2 ऐयर भूमि ज्यादा आती है। इसलिये हम तुम्हारी भूमि में से 2 ऐयर भूमि (गैर की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 809 के लैंगवा की तरफ) को लेकर रहेंगे, तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। और उन्होने सायल की बनी हुयी डौल–मेड को तौड दिया। जिस पर सायल ने गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया कि भाइयो मेरे 1/4 हिस्से में 11.25 ऐयर भूमि आती है। जबकि मैं तो खसरा नं. 817 के 11 ऐयर हिस्से को ही काश्त कर रहा हूँ। 0.25 ऐयर भूमि तो फिर भी मेरे हिस्से में कम आ रही है। खसरा नं. 817 के रकवा 11 ऐयर को मैं अपने बुजुर्गान के जमाने से बाहमी बंटवारे के अनुसार काश्त करता चला आ रहा हूँ। इस भूमि को मैंने लाखों रूपये लगाकर काबिल काश्त बनाया है। इस भूमि में से तुम 2 ऐयर भूमि कैसे ले सकते हो जिस पर गैरसायल नं. 1 ता 6 नाराज हो गये और सायल को ऐलानिया धमकी दी कि इस भूमि को हम तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। जबरदस्ती लटठ के बल पर तुम्हारी भूमि में से 2 ऐयर भूमि लेकर रहेंगे। सायल ने गैरसायल नं. 1 ता 6 को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं हैं। यदि वे इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्त क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। सायल के हक हकूकों पर विपरित प्रभाव पडेगा। हक–तलफी होगी। सायल अपने हिस्सा की भूमि में काश्त करने से वंचित हो जावेगा। जिस पर सायल ने गैरसायल नं. 1 व दावे के प्रतिवादी नं. 7 लगायत 20 से विवादित भूमि का बंटवारा करने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को कहा जो इंन्कार हो गये। इसलिये गैरसायलान के विरूद्ध दावा तथा प्रार्थना पत्र टी.आई दायर करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र के मद 07 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांन्त सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये गैरसायल नं. 1 ता 6 को जरिये टी.आई पाबंन्द करना निहायत जरूरी है। यदि गैरसायलान को टी.आई से पाबंन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्त हानि होगी। जिसकी क्षति पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी भी पूर्ण नहीं हो पायेगी।

अतः प्रार्थना पत्र टी.आई पेश कर अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायलान नं. 1 ता 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वंय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से सायल के हिस्सा की भूमि खसरा नं. 817 रकवा 11 ऐयर वाके ग्राम हाड़ौली तहसील हिण्डौन में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। सायल को उक्त आराजी को शांन्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग काश्त करने देवें। रहनव्य ना करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वय करें ना ही किसी अन्य से करायें। जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। हक–तलफी हो। राजस्व रिकार्ड तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.01.2021 को गैरसायलान की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। गैरसायलान को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उन्होंने जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 03.06.2025 को गैरसायलान का जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौरान बहस अवगत कराया है कि गैरसायल सं01 उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 29/540 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 816 रकबा 0.09 है0, 817 रकबा 0.11 है0, 818 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी कैदारलाल पुत्र प्रभू हि0 1/12, छोटेलाल पुत्र प्रभू हि0 1/12, जगदीश प्रसाद पुत्र मांगीलाल हि0 29/540, दुर्गीलाल पुत्र मंगल हि0 2/27, दिनेश चन्द पुत्र मांगीलाल हि0 29/540, बाबूलाल पुत्र मांगीलाल हि0 29/540, मनोहरलाल पुत्र मंगल हि0 2/27, राधारमन पुत्र प्रभू हि0 1/12, रामभरोसी पुत्र हीरालाल हि0 1/4, रामरतन पुत्र मांगीलाल हि0 29/540,रामसहाय पुत्र मंगल हि0 2/27, सुरेश चन्द पुत्र मांगीलाल हि0 29/540, हरभेजी पत्नि मांगी हि0 1/108 जातियान ब्राहम्ण सा0 खेडीहैवत खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 816 रकबा 0.09 है0, 817 रकबा 0.11 है0, 818 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में सायल हि0 1/4 भाग के एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 29/540 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायल ने अपने हिस्से की आराजीयात का पृथक खाता एवं लगान कायम कराने हेतु बंटवारा का दावा दायर किया है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बंटवारा के दावे के निस्तारण तक वादी के बाहमी बंटवारा में आयी भूमि खसरा नम्बर 817 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। इस प्रकार सायल उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 0.11 है0 के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ का सहखातेदारी भूमि के विशिष्ट भू–भाग का अन्तरण नहीं करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली